



बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम

आम सूचना

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 से लागू किया जा रहा है। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसमें शामिल की गयी सेवाओं, उसे प्रदान करने वाले पदाधिकारी तथा निर्धारित समय अवधि की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

क्र० सं०	अधिसूचित सेवाएं	सेवा प्रदान करने हेतु नामित पदाधिकारी (नामनिर्दिष्ट लोक सेवक)	सेवा हेतु समय सीमा	क्र० सं०	अधिसूचित सेवाएं	सेवा प्रदान करने हेतु नामित पदाधिकारी (नामनिर्दिष्ट लोक सेवक)	सेवा हेतु समय सीमा				
1.	विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निष्पादन	क) प्राप्त आवेदनों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	9.	शहरी क्षेत्र में होलिंग निर्धारण हेतु आवेदन पर निर्णय	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	45 कार्यदिवस			
		ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्यदिवस							
2.	छात्रवृत्तियों का वितरण	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ प्रोग्राम ऑफिसर	निधि प्राप्ति के 30 कार्यदिवसों के अंदर	10.	निबंधन कार्यालयों में उपबंधित सेवाएँ	प्रस्तुत दस्तावेजों का निबंधन/निष्पादन	जिला निबंधक/अवर निबंधक	दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के उसी दिन			
3.	जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी			21 कार्यदिवस	निबंधित दस्तावेजों का परिदान	जिला निबंधक/अवर निबंधक	5 कार्यदिवसों के अन्दर		
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या (ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी			21 कार्यदिवस	तलाश एवं प्रतिलिपि कार्य	जिला निबंधक/अवर निबंधक	7 कार्यदिवसों के अन्दर		
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्यदिवस	सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र	जिला निबंधक/अवर निबंधक	क) कम्प्यूटरीकृत अभिलेख से- 3 कार्यदिवस ख) जिल्दबंद खंडों (3 वर्षों तक) में तलाश-7 कार्यदिवस ग) जिल्दबंद खंडों (3वर्षों से अधिक) में तलाश -14 कार्यदिवस				
4.	आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	21 कार्यदिवस	11.	विभागीय मुख्यालय के माध्यम से निबंधन से संबंधित लोक सेवाएँ	सोसाइटी/फर्म अभिलेखों से संबंधित तलाश एवं प्रतिलिपि कार्य	प्रमारी पदाधिकारी	आवेदन प्राप्ति के 21 कार्यदिवसों के अन्दर		
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या (ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्यदिवस			सोसाइटी/फर्म का निबंधन	प्रमारी पदाधिकारी	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्यदिवसों के अन्दर		
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्यदिवस							
5.	आय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	21 कार्यदिवस	12.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंकपत्र का प्रावधान	क) डी०ई०ओ० कार्यालय से प्राप्त समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंकपत्र का प्रावधान	संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी०ई०ओ०)	5 कार्यदिवस		
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या (ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्यदिवस			ख) विद्यालयों द्वारा संबंधित लड़कों/लड़कियों को अंकपत्र निर्गत करना।	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	5 कार्यदिवस		
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्यदिवस							
6.	परिवहन विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन	1) लर्नर अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	13.	अंकपत्र/अस्थायी या मूल प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन प्रमाण-पत्र को सुधारने/पुनर्गणना के लिए कार्रवाई	सहायक/उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	10 कार्यदिवस			
		2) विभिन्न प्रकार के चालक अनुज्ञप्तियों का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस			14.	अंकपत्र/अस्थायी या मूल प्रमाण-पत्र/माइग्रेसन प्रमाण-पत्र को सुधारने/पुनर्गणना के लिए कार्रवाई	विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक	15 कार्यदिवस	
		3) चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का निर्गमन/इन्डोसमेंट	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	15.	निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन			संबंधित प्राचार्य	7 कार्यदिवस	
		4) चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस			16.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों का अभिप्रमाणन	क) सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत करना। ख) अपेक्षित कार्य पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकार के माध्यम से सीधा परिदान।	उपनिदेशक	30 कार्यदिवस
		5) अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	17.	दाखिल खारिज (i) नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में (ii) शिविर में			क) सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत करना। (क) आपत्ति रहित वाद (ख) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो (ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्वी का निर्गमन	अंचलाधिकारी	18 कार्यदिवस
		6) वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस			(ख) आपत्ति रहित वाद	अंचलाधिकारी	30 कार्यदिवस		
		7) नये निजी वाहनों/परिवहन वाहनों का निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस			(ग) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्वी का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्यदिवस		
		8) निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीयक प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस			(घ) आपत्ति सहित वाद	अंचलाधिकारी	30 कार्यदिवस		
		9) निबंधन प्रमाण पत्र का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस			(च) आपत्ति युक्त वाद में संशोधन पर्वी का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्यदिवस		
		10) वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	45 कार्यदिवस			लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्यदिवस		
		11) ट्रेड सर्टिफिकेट का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस			19.	बिहार वैट अधिनियम की धारा-19 के अधीन निबंधन का आवेदन	उपायुक्त/सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर पदाधिकारी (अंचल का प्रमारी)	15 कार्यदिवस	
		12) कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस					20.	सी०एस०टी० (रजिष्ट्रेशन & टर्नओवर) रुल्स 1957 के नियम 12 के अधीन प्रपत्र 'C' या 'F' में अनुदान की घोषणा के लिए आवेदन	उपायुक्त/सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर पदाधिकारी (अंचल का प्रमारी) या अंचल प्रमारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी
		13) वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस			7.	जन वितरण प्रणाली			नये राशन कार्डों के आवेदन पर निर्णय
		14) पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस							
		15) परिवहन वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण पत्र का निर्गमन/नवीकरण	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्यदिवस							
		16) प्रत्यर्पित/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जाँच प्रतिवेदन	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्यदिवस							
		17) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक	10 कार्यदिवस							
		18) कर छूट/वापसी के आवेदनों का अग्रसारण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस							
8.	आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पासपोर्ट, नौकरी इत्यादि) के आवेदनों का निस्तार।	डी०एस०पी० (मु०) या संबंधित जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई डी०एस०पी०	आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्ति से 28 कार्यदिवस								

उपर वर्णित सभी नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों से अनुरोध है कि 15 अगस्त 2011 के पूर्व अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अपने-अपने कार्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।